न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी अलवर

पीठासीन अधिकारी — नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस
दीवानी विविध प्र. सं. — 46/09/26
सी0आई0एस0 — 09/26

1. पप्पूराम पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 58 साल निवासी ग्राम गैंदावाला की ढाणी हमीरपुर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी/वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र रामचंद्र उम्र 60 साल
2. भरतलाल पुत्र रामधन उम्र 52 साल
3. रामस्वरूप पुत्र रामधन उम्र 48 साल
4. मूलचन्द पुत्र मंगला उम्र 58 साल
5. राकेश पुत्र लक्ष्मण उम्र 35 साल
6. लोकेश पुत्र लक्ष्मण उम्र 30 साल
7. महेन्द्र पुत्र शिशुपाल उम्र 28 साल
8. इन्द्राज पुत्र भरतलाल उम्र 26 साल
9. नेहरू पुत्र मूलचंद उम्र 25 साल
10. धोली पत्नी रामस्वरूप उम्र 47 साल
11. केशरी पत्नी भरतलाल उम्र 48 साल
12. रविना पत्नी लोकेश उम्र 24 साल
13. छोटा पत्नी नेहरू उम्र 32 साल

निवासीगण ग्राम गैंदावाला की ढाणी हमीरपुर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थिति</u>
1. श्री गोपीराम शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादीगणकी ओर से

आदेश **दिनांक 16.03.2026**

1. इस आदेश से प्रार्थी/वादी की ओर से अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान मे आबादी भुमि

में मुताबिक मौका व मुताबिक नजरी नक्शा बरंग सुर्ख मार्का ए, बी, सी, डी वादी का निजी मिल्कीयत मालिकाने हक का एक कदीमी पैत्रिक रिहायशी बाडा नपत पूर्व से पश्चिम 70 फुट दोनों सिरे, उत्तर से दक्षिण 45 फुट दोनों सिरे व सीमा तरफ पुर्व को वादी की खातेदारी जमीन, पश्चिम को आम रास्ता तेजाजी मन्दिर, उत्तर को पप्पु का मकान व दक्षिण को वादी की खातेदारी में जाने का रास्ता स्थित चला आता है। जिस रिहायशी बाडा पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से करीब 70–80 साल से लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के काबिज एवं दाखिल रहकर उपयोग उपभोग करता चला आता है। जिस रिहायशी बाडा मे वादी की बनायी हुए एक तिबारी है तथा उक्त बाडा का उपयोग उपभोग वादी अपने बुजुर्गान के समय से करता आ रहा है तथा उक्त रिहायशी बाडे में वादी ईंधन बलिता इत्यादि डाल रखा है तथा अपने पशुओं के लिए कडबी चारा इत्यादि डाल रखा है। उक्त बाडा में वादी पशुओ के ठाण बने हुये हैं, जिसमे वादि अपने पशु बांधता है! तथा ईधन बलीता चारा रखता है तथा वादी ने उक्त बाडा में छायादार पेड पौधे लगा रखे है तथा वादी ने उक्त रिहायशी बाडा में एक कच्ची झोपडी भी बना रखी है। मौके पर वादी के पेड लगाये हुये है। जिस विवादित रिहायशी बाडा पर वादी कदीम से बहैसियत मालिक काबिज व दाखील रहकर शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करता चला आता है व आज भी मौके पर वादी अपने उक्तानुसार बाडे पर बहैसियत मालिक काबिज व दाखिल है। जिस विवादित बाडे से प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार हक हिस्सा कब्जा किसी किश्म का नही है। वादी को उक्त बाडे बाबत हकूक आशायश प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण बडे ही लडाकू मुठमर्द लोग हैं जो कि जबरन लठ के बल पर वादी को उसके उक्तानुसार विवादित रिहायशी बाडा पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते हैं तथा उक्त बाडा की शक्ल मौका बदलना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनाँक 13.01.2025 को प्रतिवादीगण उक्तानुसार वादी के रिहायशी कदीमी बाडा पर मौके पर आये व जबरन विवादित बाडा पर जबरन कब्जा कर वादी को मौके पर से बेदखल करने की जुस्तजू करने लगे। जिस पर वादी द्वारा एतराज करने पर प्रतिवादीगण वादी को मारने पीटने व झगडा करने को आमादा हो गये जिस पर बमुश्किल घटना टाली गई। प्रतिवादीगण ने वादी को एलानिया धमकी दी है कि वो वादी के उक्तानुसार रिहायशी विवादित बाडा पर जबरन कब्जा करके रहेगें व वादी को इसका उपयोग उपभोग नहीं करने देगें व जबरन लठ के बल पर वादी को मौके पर से बेदखल करके रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के विवादित रिहायशी बाड़ा पर जबरन कब्जा कर वादी को मौके पर से बेदखल कर दिया व उपयोग उपभोग में बाधा डाली या शक्ल मौका बदल दी तो वादी को बडा भारी नापूर्ति होने योग्य नुकसान होगा। वादी के कदीमी मिल्कीयत मालिकाने हक कब्जे का आबादी भुमि में स्थित रिहायशी बाडा वादि के हाथ से निकल जावेगा तथा वादी के हकूक जायल होगें व वादी को खुले आसमान तले रहने की नोबत आ जावेगी। वादी का यह प्रथम दृष्टया केस है और सुविधा व न्याय का संतुलन भी वादिनी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण को वादी के निजी मिल्कियत मालिकाना हक व कब्जे के कदीमी रिहायशी आबादी भुमि में स्थित बाडा वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील

प्रतापगढ मुन्दर्जे वादपत्र व मुन्दर्जे नजरी नक्शा बरेंग सुर्ख मार्का ए, बी, सी, डी पर जबरन कब्जा ना करने तथा वादी को मौके पर से जबरन बेदखल ना करें व वादी के बाडा के कुल उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना डालने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर दौराने बहस यह कथन किया है कि प्रार्थी का विवादित बाडे से कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार किसी किस्म का नहीं है, बल्कि विवादित बाडा अप्रार्थीगण का कब्जेशुदा बाडा है। जिस बाडे पर अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से व्यवस्थित रूप से शांतिपूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिस पर आज भी मौके पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर अपने पशु बांधने, गोबर डालने व उठने बैठने के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी ने विवादित बाडे की नाप व सीमाएं कतई गलत बताई है। बाडे की सही नपत पूर्वी हिस्सा 36 फुट, पश्चिमी हिस्सा 48 फुट, उतरी हिस्सा 78 फुट, दक्षिणी हिस्सा 80 फुट व सीमाएं पूर्व में रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में शामलात की 3 फीट चौडी गली बाद में पप्पू का मकान, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी व प्रार्थी के बुजुर्गान कभी भी विवादित बाडे पर काबिज नही रहे और ना ही कभी विवादित बाडे का उपयोग उपभोग किया और ना ही प्रार्थी की बनाई हुई तिबारी विवादित बाडे में मौजूद है और ना ही कभी प्रार्थी ने विवादित बाडे में ईधन, बलिता, पशुओं का चारा कडबी इत्यादि डाला है और ना ही कभी पशु बांधे है और ना ही प्रार्थी ने कोई पेड विवादित बाडे में लगाये हैं और ना ही प्रार्थी ने विवादित बाडे में कोई कच्ची झोपडी बनाई है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या व काल्पनिक दर्ज किये है, बल्कि विवादित बाडे पर अप्रार्थीगण का अपने बुजुर्गान के समय से ही व्यवस्थित कब्जा मौजूद चला आता है। विवादित बाडा अप्रार्थीगण का पैतृक बाडा है। जो आबादी भूमी आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.77 हैक्टेयर में स्थित चला आता है। विवादित बाडे में अप्रार्थीगण के बुर्जर्गान ने रहवास करने हेतु गुवाडी (कच्चे घर) बनायी थी। जिस गुवाडी में अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गान सहित रहवास करने के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे लेकिन कालान्तर में अप्रार्थीगण का परिवार बढ़ जाने की वजह से अप्रार्थीगण ने अपनी रिहायशी अन्यत्र बना ली। और कालान्तर में गुवाडी कच्ची होने की वजह से डह गई जिसके पत्थर आज भी मौके पर विवादित बाडे में पड़े हुए है। और अप्रार्थीगण ने अपनी रिहायशी अन्यत्र बनाने के पश्चात अप्रार्थीगण विवादित बाडे का उपयोग उपभोग अपने पशु बांधने व ईंधन बलिता रखने व पशुओं के गोबर को इक्ट्ठा करने के लिए करते चले आ रहे है। विवादित बाडे की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण ने अपनी निजि लागत व मेहनत से विवादित बाडे के तारबन्दी भी करवायी हुई है। जो आज भी मौके पर मौजूद है तथा आज भी मौके पर अप्रार्थीगण के पशु विवादित बाड़े में मौके पर बंधे हुए है तथा विवादित बाडे में अप्रार्थीगण के पशुओं के गोबर के रेवडे व गुवाडी के पत्थर पड़े हुए है। जिस विवादित बाडे की जगह से प्रार्थी व किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी ने मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण की विवादित बाडे की जगह को अपनी बताकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

प्रार्थी क्लीन हेंड से न्यायालय श्रीमान के समक्ष नही आया है। जब प्रार्थी का विवादित बाडे पर कभी कब्जा ही मौजूद नहीं रहा तो प्रार्थी को विवादित बाडे से बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब प्रार्थी का विवादित बाडे पर कभी कब्जा ही मौजूद नही रहा तो दिनांक 13.01.2025 को प्रार्थी को विवादित बाडे से बेदखल करने व धमकी देने वाली बात स्वतः ही गलत साबित हो जाती है प्रार्थी, अप्रार्थीगण के बुजुर्गान के समय से कब्जे अधिकार के विवादित बाडे को हडप करना चाहता है और इसी उद्देश्य से दिनांक 29.01.2026 को सुबह करीब 7 बजे प्रार्थी व उसके परिवार के 20–25 लोग विवादित बाडे में मौके पर आये और आते ही अप्रार्थीगण को विवादित बाडे से बेदखल करने की कोशिश की जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐतराज किया तो प्रार्थी व उसके परिवारजन ने अप्रार्थीगण पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे अप्रार्थीगण पक्ष के लोगों के गम्भीर चोंटे आयी जिसकी एफ आई आर संख्या 20/2026 प्रार्थी व उसके परिवारजन के खिलाफ थाना प्रतापगढ में दर्ज करवायी हुई है। जिस कार्यवाही से बचने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के बाडे को अपना बाडा बताकर मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है। जब प्रार्थी का विवादित बाडे पर कभी कब्जा ही मौजूद नही रहा तो प्रार्थी को नापूर्ति नुकसान होने, विवादित बाडे से बेदखल करने, हकूक जायल होने, बाडे की शक्ल मौका बदलने इत्यादि का सवाल ही पैदा नही होता है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रार्थी/वादीगण द्वारा जवाब काउंटर क्लेम पेश कर दौराने बहस यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण का कोई पैत्रक बाडा नही है ना ही मौके पर कब्जा है। प्रतिवादीगण वादी के बाडा पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका मौके पर कोई पटटा लेख आदि नही है। जबकि प्रतिवादीगण अन्य जगह पर अपना निवास बनाकर अन्य जगह रह रहे है। जो करीब वादी के बाडे से 400–500 मीटर दूरी पर रह रहे है। प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है की उक्त बाडे उपयोग उपभोग पशु बांधना ईंधन, बलीता, व गोबर डालने का उपयोग कर रहे है। जबकि सही बात यह है कि वादी उक्त बाडे का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी का उक्त बाडे पर कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जेशुदा बाडे पर जबरन कब्जा अवैध कब्जा करने की नियत से दिनांक 29.01.2026 को करीब 15–20 लोग आये तब वादी ने यह कहा कि यह बाडा वादी है। तब ये लोग गुस्से में अनियंत्रित होकर वादी के साथ मारपीट की व वादी के समस्त परिवार को घायल कर दिया जिस बाबत वादी ने पुलि थाना प्रतापगढ में मुकदमा दर्ज करवाया है जो अनुसंधान में चल रहा है। अंत में प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दु हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

6. प्रार्थी/वादी का यह कथन रहा है कि वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान मे आबादी भूमि में मुताबिक मौका व मुताबिक नजरी नक्शा बरंग सुर्ख मार्का ए, बी, सी, डी वादी का निजी मिल्कीयत मालिकाने हक का एक कदीमी पैत्रिक रिहायशी बाडा नपत पूर्व से पश्चिम 70 फुट दोनों सिरे, उत्तर से दक्षिण 45 फुट दोनों सिरे व सीमा तरफ पूर्व को वादी की खातेदारी जमीन, पश्चिम को आम रास्ता तेजाजी मन्दिर, उत्तर को पप्पु का मकान व दक्षिण को वादी की खातेदारी में जाने का रास्ता स्थित चला आता है। जिस रिहायशी बाडा पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से करीब 70–80 साल से लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के काबिज एवं दाखिल रहकर उपयोग उपभोग करता चला आता है। जिस रिहायशी बाडा में वादी की बनायी हुए एक तिबारी है तथा उक्त बाडा का उपयोग उपभोग वादी अपने बुजुर्गान के समय से करता आ रहा है तथा उक्त रिहायशी बाडे में वादी ईंधन, बलिता इत्यादि डाल रखा है तथा अपने पशुओं के लिए कडबी चारा इत्यादि डाल रखा है। उक्त बाडा में वादी पशुओ के ठाण बने हुये हैं, जिसमे वादि अपने पशु बांधता है तथा ईधन बलीता चारा रखता है तथा वादी ने उक्त बाडा में छायादार पेड पौधे लगा रखे है तथा वादी ने उक्त रिहायशी बाडा में एक कच्ची झोपडी भी बना रखी है। मौके पर वादी के पेड लगाये हुये है। जिस विवादित रिहायशी बाडा पर वादी कदीम से बहैसियत मालिक काबिज व दाखील रहकर शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करता चला आता है व आज भी मौके पर वादी अपने उक्तानुसार बाडे पर बहैसियत मालिक काबिज व दाखिल है। जिस विवादित बाडे से प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार हक हिस्सा कब्जा किसी किश्म का नही है। वादी को उक्त बाडे बाबत हकूक प्राप्त हो चुके है।

7. इसके विपरीत अप्रार्थी/प्रतिवादीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थी का विवादित बाडे से कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार किसी किस्म का नहीं है, बल्कि विवादित बाडा अप्रार्थीगण का कब्जेशुदा बाडा है। जिस बाडे पर अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से व्यवस्थित रूप से शांतिपूर्वक काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिस पर आज भी मौके पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर अपने पशु बांधने, गोबर डालने व उठने बैठने के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी ने विवादित बाडे की नाप व सीमाएं कतई गलत बताई है। बाडे की सही नपत पूर्वी हिस्सा 36 फुट, पश्चिमी हिस्सा 48 फुट, उतरी हिस्सा 78 फुट, दक्षिणी हिस्सा 80 फुट व सीमाएं पूर्व में रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में शामलात की 3 फीट चौडी गली बाद में पप्पू का मकान, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी व प्रार्थी के बुजुर्गान कभी भी विवादित बाडे पर काबिज नही रहे और ना ही कभी विवादित बाडे का उपयोग उपभोग किया और ना ही प्रार्थी की बनाई हुई तिबारी विवादित बाडे में मौजूद है और ना ही कभी प्रार्थी ने विवादित बाडे में ईधन, बलिता, पशुओं का चारा कडबी इत्यादि डाला है और ना ही कभी पशु बांधे है और ना ही प्रार्थी ने कोई पेड विवादित बाडे में लगाये हैं और ना ही प्रार्थी ने विवादित बाडे में कोई कच्ची झोपडी बनाई है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या व काल्पनिक दर्ज किये है,

बल्कि विवादित बाडे पर अप्रार्थीगण का अपने बुजुर्गान के समय से ही व्यवस्थित कब्जा मौजूद चला आता है। विवादित बाडा अप्रार्थीगण का पैतृक बाडा है। जो आबादी भूमी आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.77 हैक्टेयर में स्थित चला आता है। विवादित बाडे में अप्रार्थीगण के बुर्जगान ने रहवास करने हेतु गुवाडी (कच्चे घर) बनायी थी। जिस गुवाडी में अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गान सहित रहवास करने के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे लेकिन कालान्तर में अप्रार्थीगण का परिवार बढ़ जाने की वजह से अप्रार्थीगण ने अपनी रिहायशी अन्यत्र बना ली। और कालान्तर में गुवाडी कच्ची होने की वजह से डह गई जिसके पत्थर आज भी मौके पर विवादित बाडे में पड़े हुए है। और अप्रार्थीगण ने अपनी रिहायशी अन्यत्र बनाने के पश्चात अप्रार्थीगण विवादित बाडे का उपयोग उपभोग अपने पशु बांधने व ईंधन बलिता रखने व पशुओं के गोबर को इक्ट्ठा करने के लिए करते चले आ रहे है। विवादित बाडे की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण ने अपनी निजि लागत व मेहनत से विवादित बाडे के तारबन्दी भी करवायी हुई है। जो आज भी मौके पर मौजूद है तथा आज भी मौके पर अप्रार्थीगण के पशु विवादित बाड़े में मौके पर बंधे हुए है तथा विवादित बाडे में अप्रार्थीगण के पशुओं के गोबर के रेवडे व गुवाडी के पत्थर पड़े हुए है।

8. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने विवादित बाडे पर बुजुर्गों के समय से उनका कब्जा होना बताया है व तिबारी, ईंधन, बलिता इत्यादि होना बताया है, जबकि अप्रार्थीगण ने उनका विवादित बाडे पर कब्जा होना प्रकट किया है। जिस संबंध में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी यह अंकन है कि **''विवादित स्थल पर तीन खजूर के पेड हैं, जो करीबन चार पांच फुट के हैं एक खण्डर दीवार है छोटी बडी भैंस बंधी हुई हैं, ईंटों का बडा गमल है जिसमें सूखा पेड है तथा सीमेन्ट की खंबी हैं जिन पर जाल लगा हुआ है चार जगह गोबर का रेवडा है, बजरी पडी हुई है।''** पत्रावली पर जो भी तथ्य आये हैं, उसके संबंध में विनिश्चितात्मक राय मूल वाद में बाद साक्ष्य दिया जाना न्यायालय उचित पाता है। प्रकरण में सद्भाविक विवाद होना प्रकट होता है। प्रकरण में जटिलता उत्पन्न नहीं हो व वाद बहुल्यता ना बढे इसलिए संपत्ति को आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत सुरक्षित व संरक्षित रखना न्यायालय न्यायोचित पाता है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः उक्त बिंदु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः

9. उक्त दोनों बिंदु परस्पर संबंधित होने के कारण सम्मिलित रूप से विचरित किये जा रहे हैं। पत्रावली पर जो भी तथ्य आये हैं उससे प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया है। यदि मूल वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित बाडा किसी भी पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष को बेचान कर दिया जाता है या उसमें कोई भी तोडफोड होती है तो उससे वाद बाहुल्यता बढेगी व जटिलता भी उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के हित के साथ साथ तृतीय पक्ष के हित भी प्रभावित होंगे व ऐसी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन संभव नहीं होगा व पक्षकारान को भी अत्यधिक

असुविधा होगी। अतः उक्त दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किये जाते हैं।

10. निष्कर्षतः हस्तगत प्रकरण में अवधार्य उपरोक्त महत्वपूर्ण बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है।

आदेश

11. अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को यह आदेश दिया जाता है कि वे वादी के निजी मिल्कियत मालिकाना हक व कब्जे के कदीमी रिहायशी आबादी भूमि में स्थित बाडा वाकै ग्राम हमीरपुर तहसील प्रतापगढ मुन्दर्जे वादपत्र व मुन्दर्जे नजरी नक्शा बरंग सुर्ख मार्का ए, बी, सी, डी पर जबरन कब्जा ना करने तथा वादी को मौके पर से जबरन बेदखल ना करें व वादी के बाडा के कुल उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना डालने हेतु पाबंद किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 व 13 की ओर से पेश काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट थानागाजी

12. यह आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट थानागाजी